

अंविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान

नेपाल मे सहभागितामूलक अंविधान निर्माण
पोष्ठा शृङ्खला
९



प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

पैहैन्का संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक संवाद केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित छै । सामग्रीके स्रोत के रूपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रप्रति साभार व्यक्त कैरके गैरव्यवसायिक प्रयोजनके लेल यी पुस्तिकाके अंश सब पुनः प्रकाशन और / या उल्था कैर सकैछै । तेहेन पुनः प्रकाशन और / या उल्था के एक प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रके उपलब्ध कराइले परतै ।

सिंगारपेटार या छपाइ

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिड, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।



थप जानकारी या यै पुस्तिकाके लेल तरमे लिखल ठाममे सम्पर्क राखिहे :

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तेसर ओ चौथा तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, बुद्धनगर, काठमाडौं ।

टेलिफोन नं. : ९७७-१-४७८५४६६ / ४७८५४८६ / ४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

संविधान में विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान

शृङ्खला ९



संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान	१
परिचय	१
नेपालमे विविधता और सामाजिक समावेशीकरणके चुनौतीसब	४
विविधता और सामाजिक समावेशिता कनडके पुरे निश्चित करैले सकैछै ?	५
संवैधानिक विकल्प	६
निष्कर्ष	८

संविधान में विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान

पठिचय

संविधानसभा अखन नेपाल के लेल लवका संविधान लिखैमे व्यस्त छै । संविधानसभा स्वयं एक प्रतिनिधिमूलक निकाय चियै । संविधान निर्माण प्रक्रिया मे पैहले कहियो सहभागी नै भेल्हा महिला, आदिवासी जनजाति, सीमान्तीकृत जाइत और अल्पसंख्यक समूहसबके नमहर संख्या रहल छै । संविधानमार्फत नेपालके विविध समुदायसबके सरोकारसब सम्बोधन करैके लेल संविधानसभा ने जनतासँगे परामर्श कैररहल छै ।

थोरबेहेक मात्रे देशसब समरूपी (एके रूपलखा) छै । वौहते देशसबमे विविधता रहल पावैछै । येहेन देशसबमे भिने भिने भाषा बोलैके, भिने भिने संस्कृति अवलम्बन करैके और अलगे अलगे धर्म मानैके जनता रहल छै । यी वैसबके सामाजिक जीवनके यथार्थ चियै लेकिन जैसे हरदम पहिचान पावने या वत्हेक उत्साहपूर्ण रूपमे लेने नैहैछै । विगतमे बहुते शासकसबसे देशके एकीकरण करैले एकटा साभा संस्कृति, भाषा और धर्मके पहिचान करैके आवश्यक हैछै, कैहके विश्वास करने छेलै । यहो विश्वास करने छेलै कि जैसे सरकारके बेसी लुइरगर (दक्ष) और प्रभावकारी बनेतै । जैसे या त औरो संस्कृतिके बलपूर्वक दब्याके या वैसबके प्रभुत्वमे रहल संस्कृतिमे विलय कय्याके अस्तित्व घटवैके एकताके नीतितरफ उन्मुख करेलकै । बहुत धर्म, जाइतके समूहसब और आदिवासी जनजातिसब भेलहा देश नेपालके हकमे भी वैहना भेलै, लेकिन यैसना नेपाली भाषा और हिन्दू धर्मके प्राथमिकता देने छेलै ।

‘विविधता’ के अस्तित्वके पहिचान और वकरा उत्सवके रूपमे लैके कार्य से राष्ट्रनिर्माणके छुट्टे अवधारणासे सहयोग करैछै । राष्ट्रनिर्माणके यी अवधारणा “बहुलवाद” के धारणामे आधारित छै; जैसे राज्यके सन्दर्भमे प्रत्येक समुदायके विशिष्टता या मूल्य मान्यतासबके पहिचान करैछै । यी आपने धर्म और संस्कृति मानैके बातमे, राज्यसे वैसबके पहिचानके संरक्षण करल चाहना करैले और देशके समग्र सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवनमे वैसबके समावेशीकरणके लेल नागरिकके व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारके पहिचान करैछै । बहुलवाद मूल्य-मान्यतामे आधारित पद्धति चियै, जे सक्रिय करैके वातावरणके सिर्जना करैछै, जैसे फरक-फरक धर्म, संस्कृति और परम्परासब एकटा देशमे सहअस्तित्वमे रहैछै । जैसे विविधताके सम्पन्न बनवैके अवसर प्रदान करैछै ।

लेकिन बहुलता मुश्किलसे मात्र अपने विकसित है। यी छुट्टाछुट्टे समुदायसबके स्वायत्तताके साथे उसब कार्यरत हैके और राज्यसंगे सम्बन्ध राखैके लेल सहयोगके सर्तसब दुनुके सम्बन्धमे ठोस नीतिसब और अभ्यासमार्फत विकसित है। जैसे बहौत जाइतके और धार्मिक समूहसब और समुदायसबके बीच सहअस्तित्वके सम्बन्ध स्थापित करै। यै प्रक्रिया मार्फत अन्य समूहसब संगेके अन्तरक्रियासे समूहसब ने त असगरे बैठै, ने वैसेबके पहिचाने ओराबै। बहुलवाद बहुपहिचानके मान्यता दे। यै प्रक्रियासे विभिन्न समूहसबके भितर और अन्य समूहसबसंगे छलफलसब और सहमति निर्माण कार्यके बढवै।

लेकिन यै बातमे सेहो ध्यान दिये परै, कि जाइतके और धार्मिक समुदायसबके बीचो मे परम्परागत अभ्याससब भ्यासकै, जैसे महिला या निचला जाइतके समूहके विरुद्ध भेदभाव कैर सकै। यै समूहसबके प्रचलनसबमे सुधारके लेल आग्रह करनाइके हस्तक्षेपके रूपमे देखल ज्यासकै। नम्हर जाइतके और धार्मिक समूहसबके स्वायत्तताके सामूहिक अधिकारसे व्यक्तिगत मानवअधिकारसब खण्डित करना नै चाही। विशेष कैरके समूहभितरके महिला और सीमान्तीकृत वर्गके जनता (जना कि जाइत) के हकमे।

उल्लेखनीय दोसर वास्तविकता कि छै, कि बहुतो देशसबमे समुदायसब छै जे, जे अल्पसंख्यकके धर्म मानै, अलगे भाषा बोलै, या परम्परासब ग्रहण करै, और बहै कारणसे सीमान्तीकृत छै। सरकार या अर्थ व्यवस्थामे वैसेबके कमे प्रतिनिधित्व करबेने रहै, और यी बहिष्कारके चक्रके निरन्तरता द्यासकै। विविधताके पहिचान और सामाजिक समावेशीकरणके सुनिश्चितताके छलफलसबके आत्मा समानताके अवधारणा रहल छै। जैसे प्रत्येक जाइत, जातीयता, भाषा, धर्म और समुदायके सदस्यसब देशके लेल बराबैर के अवस्थामे महत्वपूर्ण रहल छै, से बातके पहिचान करै। बराबैर समानताके अवधारणा संविधानसे संरक्षित है, और यकर खास महत्व रहल छै। संविधान देशके मूल कानून चियै। देशके सरकारके स्वरूप, संरचना और सञ्चालन येहा मूल कानूनद्वारा निर्धारित भेल है।

बहुलवाद और समावेशीकरणके बढावा दैले संविधानमे कुछ मान्यतासबके व्यवस्था कैर सकै। उदाहरणके लेल बहुधार्मिक देशमे राज्य धर्मनिरपेक्ष हैतै से निर्णय करैले। या धार्मिक स्वतन्त्रताके प्रत्याभूति कैर सकै। एकटा खास धर्मके राज्यके धर्मके रूपमे लैबला राज्य या राजनीतिक प्रणाली बहुलवादी भ्या नै सकैये, बरू जैसे भेदभावपूर्ण वनैत जोखिम नेतै। जाइत, जातीयता, धर्म, भाषा या संस्कृति अनुसार नै भ्याके देशके प्रत्येक व्यक्तिके लेल समान (मौलिक) अधिकार सुनिश्चित होना चाही। ऐतिहासिक रूपमे भेदभाव करलाहा लोकसबके राज्यके मूलधारमे लावैले संविधान विशेष व्यवस्था कैर सकै। सैबके लेल समान अधिकार, विविधताके पहिचान और राजनीतिक प्रक्रियामे सहभागी हैके जनताके अधिकार सैब जनताके सशक्तीकरणके लेल अवसर प्रदान करै।

वैहनडके, सरकारमे सैब जनताके प्रतिनिधित्व रहल छै, और वैसबके विकासमे अधिकार और वास्तविक पहुँच दुवो छै, कैहके सुनिश्चित करैले सामाजिक समावेशिताके स्पष्ट परिभाषित नीति आवश्यक परैछै। संघीयता (अर्थात अधिकारके निक्षेपण और स्थानीय स्वायत्तता) सरकार सञ्चालनके रणनीति चियै जकरा जनताके सहभागिताके आधार प्रदान और वैसबके (वकर) अधिकारके दावी करैत यैमेसे कुछ मुद्दासब सम्बोधन करैके लेल सरकार सञ्चालनमे प्रयोग भेलछै।

संघीय प्रणालीमे सरकार जनताके लगमे (नजिक) लावने होइछै। राज्यभितरके बहौत स्थानीय समुदायसब प्रतिनिधित्व और सहभागिताके अवसर पावैछै। उसब आपन भाषा और संस्कृति लगायत वैसबके चासोसब (खोजीके विषय) संरक्षण करैले बेसी अवसर पाइब सकैछै। विविधतायुक्त धर्म, संस्कृति और भाषिक पहिचान सुनिश्चित करैत व्यापक संघीय पद्धतिके सीमाभितर रहैत बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाज सुनिश्चित कर सकैछै। भारत, स्वीटजरल्याण्ड, बेल्जियम और जर्मनी बहुजातीय देशसब चियै, जैसे संघीयताके खास रूपमे विविधताके संरक्षण और बहुलताके सुनिश्चित करैत अवलम्बन करने छै। लेकिन पहैलका युगोस्लाभिया और पहैलका सोभियत संघके उदाहरण सबसे जटिल समाजमे जटिल संघीय प्रणाली विविधताके हरदमे सफलतापूर्वक मिल्याके राखैले नैसकतै से देखबैछै।

नेपाल भी भाषिक विविधतामे धनीक छै। १० टा से बेसी भाषासब पहिचान पावने छै। लेकिन परम्परागत रूपमे एकेटा मात्र भाषा नेपाली छै, जे करिब आधा मात्र जनसंख्याके मातृभाषा चियै, येहा सरकारी कामकाजके और आधिकारिक भाषा भेल छै। परिणामस्वरूप भाषिक अल्पसंख्यकसब सीमान्तीकृत और बहिष्करणमे परल छै। भाषिक विविधताके संविधानसे सम्बोधन करैके विभिन्न उपायसब रहल छै। सामान्यतः संविधानसे एकेटा भाषाके सरकारी, राष्ट्रिय या राज्यके भाषा निर्धारण करैछै। भाषाके प्रयोगके विस्तृत विवरणके सम्बन्धमे विशेष कानून लागू करैछै। कुछ देशसब बहुते भाषाके सरकारी भाषाके रूपमे मानता दैछै और वकर राज्यके निकायसबके वै भाषाके प्रयोग करैले और वैसबमे सञ्चालित होइले बाध्य (लिपिलगायतमे) बनाइछै। अधिकांश राज्यसबमे यी भाषासब नम्हर समुदायसबसे प्रयोग होइछै। लेकिन कखनो कखनो बहुते कम संख्यामे बोलैके भाषासब सेहो सरकारी कामकाजके भाषामे समावेश भेल हैछै। संघीय देशसबमे सामान्यतः राष्ट्रिय भाषाके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाके संघीय एकाइके सरकारी कामकाजके रूपमे प्रयोग करैके प्रावधान भ्यासकैछै।

एकेटा भाषाके सरकारी राज्य या राष्ट्रिय भाषा तोक्नाइमात्र वै भाषाके नियमन और स्तरके लेल पर्याप्त नै हैछै। सामान्यतः से सहायक कानून निर्माण करैके करैछै। लेकिन संविधानमे और भागसब सेहो होइछै, जैसना जे सान्दर्भिक भ्यासकैछै। जना कि नेपालके अन्तरिम संविधानमे सैब नागरिकके वैसबके मातृभाषामे आधारभूत शिक्षा लैले पावैके अधिकार और सैब जनता स्थानीय सरकारके तहमे वैसबके मातृभाषाके प्रयोग कर सकैके पावैके अधिकार भी समावेश करैछै।

नेपालमें विविधता और सामाजिक समावेशीकरणके चुनौतीसब

नेपाल बहुत विविधतायुक्त छै। देशमें बहुत जाइत, जाति, भाषिक और धार्मिक समुदायके और आदिवासी जनजातिके जनता (रहल) छै। लेकिन नेपालके सैब समुदायसब समृद्ध भेल नै छै कियाक उसब परम्परागत रूपमें बहिष्करणके अनुभव करने छै।

नेपाल राज्यके रूपमें स्थापना भ्याल समयसे हिन्दू धर्मके देशमें शासन सञ्चालन प्रणालीके महत्वपूर्ण पक्षके रूपमें लेने छेलै। लिच्छवी काल (सन ३००-७००), मल्ल काल (सन ११००-१७६८) से शाह काल (सन १५५९-२००७) तकके शासनसब हिन्दू धर्मके विशेष महत्व देलकै। हिन्दू धार्मिक सिद्धान्त और अभ्याससब राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया और राज्य सञ्चालनके मामिलासबके हरदम प्रभावित करलकै।

नेपालमें येहेन किसिमके व्यवस्था सबसे पैहने १८५४ के मुलुकी ऐन (रहल) छेलै। यी नेपालमें प्रचलनमें रहल पुरातन जाइत-प्रथाके आधारमें निर्माण करने छेलै। मुलुकी ऐन यै प्रचलनसबके कानूनी रूपमें बाध्यकारी बनेलकै। १९५० कते यकरा आधुनिकीकरण करलाके बाद और वि.सं. २०१९ के संविधान, जे लागू भेलाके बादो नेपालके बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाजमें वै ऐनके विभेदकारी प्रभाव रहते रहलै। लेकिन वहै संविधानसे नेपालके हिन्दू अधिराज्य केहके घोषणा कैलकै।

लेकिन वि.सं. २०४७ के संविधान, जे वि.सं. २०६३ तैक कार्यान्वयनमें छेलै, विभेदकारी प्रचलनसबके अन्त करैले असफल भेलै जे हिन्दू मूल्य और मान्यतामें आधारित छेलै। यै संविधानसे नेपालके बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य और सार्वभौमसत्तासम्पन्न केहके परिभाषित करलकै तैयो से दस्तावेज से नेपालके हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यके रूपमें घोषणा करलकै। फलतः प्रजातान्त्रीकरण प्रक्रियाके अवधिमें जातीय समूहसब और धार्मिक समुदायसबके अधिकारसब प्रभावकारी रूपमें संरक्षित नै भेलै। राज्यसे सरकारी कामकाजके नेपाली भाषा और पहिचानसे अलग रूपमें भाषा और संस्कृतिके आधारमें भेदभावके कामक्रियाके निरन्तरता देलकै। अन्य भाषासब राष्ट्रिय स्तरमें मान्यता और संरक्षण पावैले असमर्थ रहलै।

१० वर्षसे वेसीके सशस्त्र द्वन्द्वके बाद शान्ति प्रक्रियाके शुरूके बखत मसौदा करलाहा नेपालके अन्तरिम संविधान, २०६३ से नेपालके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यके रूपमें घोषणा करलकै। यी दस्तावेज नेपाली जनताके लेल विविधता और सामाजिक समावेशीकरणके बात लिखैमें विगतके संविधानसबमें नीके रूपमें अगाडि बहल (अग्रगामी) रहलै। मानव अधिकारके संरक्षण और सम्बर्द्धन करैले मानव अधिकार आयोगके व्यवस्थाके साथे मौलिक हकके भागमें

स्वतन्त्रता और समानताके विशेष हक, छुवाछुत विरुद्धके हक, शिक्षा और संस्कृतिके हक, महिलाके हक और सामाजिक न्यायके हक प्रत्याभूत भेल छै ।

अन्तरिम संविधानसे “नेपालमे बोलैके सैब मातृ-भाषासब राष्ट्रभाषा चियै और नेपाली भाषा सरकारी कामकाजके भाषा हेतै” कहके उल्लेख करने छै । संरक्षणके यी प्रावधान रहले भेलासे भी नेपाली जनताके लेल विविधता और सामाजिक समावेशीकरण बेसी यथार्थ (वास्तविक) बनैले परतै कहके लवका संविधानमे और बेसी स्पष्ट और कार्यान्वयनके संयन्त्रसबके प्रावधानसब राखैले परतै । यी से सामाजिक समावेशीकरण आपने लावैले नै सकतै महत्वपूर्ण रूपमे सहायक कानून निर्माण और प्रभावकारी शासन सञ्चालन यकर पूर्व शर्तसब चियै ।

विविधता और सामाजिक समावेशिता कबडके पुटे निश्चित करैले अकैछै ?

निक तुलनात्मक संवैधानिक और शासन पद्धतिके काम (अभ्यास) के चित्रित करलासे नेपालमे विविधताके संरक्षण और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करैके उपयुक्त उपायसब अवलम्बन करैले संविधानसभामे यै बातसबमे छलफल भ्यासकैछै ।

- » प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र और प्रक्रियासबके व्यवस्था करैत देशके सैब जनताके लेल आधारभूत मानवअधिकार, स्वतन्त्रता और सुरक्षाके प्रचूरता करैले (प्रत्याभूति करैले) उपायसब पत्ता लगवैले ।
- » नेपालके जातीय, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना, स्रोतसबके बाँडफाँड और देशके अन्य सम्बन्धित जगहके वास्तविकता (धरातलीय यथार्थ) सबके ध्यान दैत सैब नेपाली जनताके लेल उपयुक्त संघीय स्वरूपके निर्धारण ।
- » जातीय, भाषिक और धार्मिक समूहसबके खोजी (चासो) सबके सँगे केन्द्रीय नीति निर्माणमे प्रान्तीय विचारसबके प्रतिनिधित्व करैत हुवे उपरका सदनके व्यवस्था ।
- » संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय संघीय एकाइसबके पर्याप्त स्वायत्तता और अधिकार प्रदान ।
- » आदिवासी जनजाति समूहसब, मधेशी, दलित और महिलाके अधिकारसबके प्राथमिकताके साथ दैके (प्रत्याभूति) ।
- » प्रान्तीय एकाइसबमे बसोबास करैत अल्पसंख्यक या छोटका आदिवासी जनजाति - “अल्पसंख्यक भितरके अल्पसंख्यकसब” के अधिकारके रक्षा ।
- » प्रभावकारी और सहभागितामूलक स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीके व्यवस्था ।

संवैधानिक विकल्प

संविधान निर्माण प्रक्रियामें विविधता और सामाजिक समावेशितासम्बन्धी मुद्दासब सम्बोधन करैके लेल विशेष रूपमें कतहेक विकल्पसबके विषयमें सोँइच सकैचियै । यी विकल्पसब ने त बत्हेक विस्तृत छै ने पारस्परिक रूपमें बत्वेहेक और विकल्प सेहो चियै । सामाजिक समावेशिताके सहयोग करैके उद्देश्यसहित से लक्षित संवैधानिक संरचनाके यीसब अवसर या और चुनौती दुनु प्रदान करैछै ।

विकल्प	सबल पक्ष	चुनौती/जोखिम
धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापना करैके (अन्तरिम संविधानमें उल्लेख भेललखा) धार्मिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूत करनाइ	<ul style="list-style-type: none"> » सब जनताके लेल धार्मिक स्वतन्त्रता और आस्थासम्बन्धी समान अधिकार । » सब धर्मावलम्बीके समान मान्यता प्राप्त भेल अनुभूति । » धार्मिक संघसंस्थासब राज्यके हस्तक्षेपसे मुक्त । » येहेन परिस्थितिके सिर्जना, जैसना राज्य और यकर नीतिसब धार्मिक गुरु या प्रभुत्वसे स्वतन्त्र रहतै । » धार्मिक प्रथामे कोनो बन्देज नैहेतै । 	<ul style="list-style-type: none"> » नेपाल एक धार्मिक समाज भेलाके कारण अहिठनाके लोकसबके आपन सार्वजनिक या व्यावसायिक जीवनसे धर्मके अलग करैले कठिन हेतै । » राज्यके लेल कोनो कोनो धर्मद्वारा स्वीकृत देलहा चलनसे महिला जोखिममें परलहा सामाजिक समूहसब या धियापूताप्रति होईबला हानीकारक या भेदभावपूर्ण व्यवहारके नियन्त्रण करैले कठिन हेतै ।
मौलिक अधिकार सम्बन्धी विस्तृत अधिकारपत्र उपलब्ध कर्याके कार्यान्वयन करैले उचित संयन्त्र सिर्जना करनाइ	<ul style="list-style-type: none"> » सैब जाइतजाति, आदिवासी, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषिक समूह या समुदासबके लेल आधारभूत मौलिक अधिकार प्रत्याभूति; » अल्पसंख्यकसबसे माग भेललखा व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकारके संरक्षण; » सीमान्तीकृत समूहसबके समता प्रदान करैले सकारात्मक विभेदके कदम आगु बढवैले; 	<ul style="list-style-type: none"> » लवका संरचनाके प्रभावकारी ढंगसे कार्यान्वयन करैले न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासन, शिक्षा प्रणाली लखा राज्यके संस्थासबके आवश्यकता परतै;

विकल्प	सबल पक्ष	चुनौती/जोखिम
सान्दर्भिक संघीयता	<ul style="list-style-type: none"> » पहिचानमे आधारित समूहसबके ओकरसबके पहिचानलगायत ओकरसबके भाषा या सांस्कृतिक रीतरिवाजके प्रबर्द्धन करैत अवसरसब उपलब्ध करेनाइ; » स्थानीय समुदाय और अल्पसंख्यकसबके स्थानीय तहके राजनीति और आर्थिक क्रियाकलापमे प्रतिनिधित्व या सहभागीके नम्हर अवसर प्राप्त करेनाइ; » सीमान्तीकरण और बहिष्करणमे कमी करेनाइ; » स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसबपर स्थानीयवासीके नियन्त्रणके अधिकार; » आर्थिक विकासके लेल अवसरमे वृद्धि; » आन्तरिक आत्मनिर्णय और स्वायत्ततासम्बन्धी अधिकारके अभ्यास 	<ul style="list-style-type: none"> » सामाजिक संरचना जटिल हैके कारणसे सीमाना छुट्टयावैले काम कठिन हैतै; » जातीय और सामुदायिक द्वन्द्वके संभावना; » समन्वय और सहकार्यके लेल बढैत गेल चापके निकजका व्यवस्थापन करेनाइ; » संघीय एकाइसबके बीच स्रोतसाधनके वितरण करैकेलेल उचित संरचनाके आवश्यकता; » राज्य और समुदायसबके बीच तनाव वृद्धि भ्यासकैछै; » बेसी स्वायत्तताके लेल बढैत गेल अपेक्षा और मांगसे अलगरा राज्यके लेल अलग होइबला माग आइबसकैछै ।
शक्ति निक्षेपण करैले स्थानीय स्वायत्तता तथा अन्य संयन्त्रसब	<ul style="list-style-type: none"> » स्थानीय जनजाति समूहसब और ओकरसबके भाषा, धर्म और संस्कृतिके पहिचान और सम्मान; » स्थानीय बासिन्दासबके स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसबपरके नियन्त्रणमे अधिकार प्राप्त करेनाइ, और स्थानीय तहमे प्रभावकारी ढंगसे करे सकैबला कामसब करेनाइ; » बेसी प्रगतिशील शक्ति बाँडफाँडके लेल आवश्यक संरचना सिर्जना होइके संभावना; » सन्तुष्ट राज्यसबके स्थापना, स्थानीय समुदायसबके बीच बेसी सन्तुष्टि; » स्थानीय तहमे अपनत्वके भावनाके बढैतगेल विकास । 	<ul style="list-style-type: none"> » सैब समुदायसबमे येहेन व्यवस्थापन और शासनसम्बन्धी कार्यक्षमता नै हेनाइ, जरुरी स्थानीय आवश्यकतासब परिपूर्ति करैके चापके कारण राष्ट्र निर्माणके दीर्घकालीन योजनासब अन्हारमे पैरसकैये ।

निष्कर्ष

संविधानमें निष्पक्षता, सुशासन, विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी सिद्धान्त और पहलके बारेमें संयन्त्रसब समावेश करैके चाही तहिना व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारके संरक्षण प्रदान करैबला एकटा मजगुत और निष्पक्ष न्यायपालिकाके व्यवस्था सेहो होइके चाही । लेकिन यी प्रावधानसब मात्रे पर्याप्त नहीं हैतै से बात ध्यानमें रखनाइ महत्वपूर्ण छै । दीर्घकालमें ज्याके सबके लेल समानता सुनिश्चित करैके लेल सरकारी नीति और अभ्यासके प्रयाससब भी वेत्चेहेक महत्वपूर्ण हैतै । ओहौसे महत्वपूर्ण बात कि छै से सैब नेपाली एक दोसरके पहिचान और आवश्यकताप्रति समझदारी देख्याके सहकार्य करैके चाही । उसब अपन अधिकार मांगैके बाहेक दोसरके अधिकार प्रति आदर देख्याके बहुलवादी समाजमें सामन्जस्यताके साथे रहैले सकैके जिम्मेवारी पूरा करैले परतै । आखिर बहुलवाद कहैके मतलब मनस्थिति भी चियै ।

पोष्ठा श्रुङ्खला के विषय मे

संविधान सभा के सदस्यसब या इच्छुक और सैब के संविधान बनाइ के तौर तरिका विषयमे आधारभुत जानकारी देनाई यी किताब श्रुङ्खला के उद्देश्य चियै । यी प्रकाशनसब सवैधानिक परिणाम के लेल कोनो भि किसिम से पैहने अनुमान करैले, अवधारणा पत्र, प्रस्ताव या मनसाय नै चियै । यी श्रुङ्खला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) के “नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण के लेल मदत” (एससिविएन) परियोजना के समन्वय मे नेपाली आ अन्तरराष्ट्रीय संविधान विदसब के सभिया कोशिस के प्रतिफल चियै ।

यै किताबसब के और निक बनाइले प्रतिकृया या टिप्पणी (आपन आपन बिचार) के लेल विशेष किसिम से आग्रह करल गेल छै । बेसी से बेसी सु- सज्जत जानकारी, प्रतिबद्ध या रचनात्मक छलफल, राय सल्लाह के प्रोत्साहित करैले यी प्रकाशनसब सफल हेनँइ से आपन सोंचल परिणाम (आशातित् उद्देश्य) के प्राप्त हेतै । पाबलहा टिप्पणी सब के आधार मे यी किताबसब के लबका या थप संस्करणसब तयार कयाल ज्या सकतै ।

यी श्रुङ्खला के नेपाल के डिगा (मुल मुल) भाषासब मे उल्या करैके सिलसिला मे निक गुणस्तर कायम रखनाई के साथे ओइ भाषा के बेसी से बेसी लोकके बुझहै के लेल ठिक शब्दावली प्रयोग करैले अधिक से अधिक प्रयास करल गेलछै ।

शबद सब के उचित आ सहि प्रयोग के लेल और और भाषिक समुदायसब के बिच मे भविष्य मे छलफल या बहस हैके आश करै सकै चियै । संवैधानिक सम्बाद केन्द्र के उद्देश्य वेहने बहससब के कोनो भि किसिम के छहाइर मे नै राखैके, बल्की वै भाषा सबके समावेश करैके ये प्रयासमे समावेशिता या पहौच के बेसी से बेसी वृद्धि करनाई चियै ।

देश के संविधान बनाइके लेल सान्दर्भिक विषयवस्तु सबके, संवैधानिक संवाद केन्द्र से तैयार करैले लागल श्रृङ्खलाबद्ध पाठ्य सामग्रीसबके एकटा अंश यी किताब चियै ।

सभासदसब के साथे साथे यै विषयमे इच्छुक आ सर्वसाधारण सैब के मूल संवैधानिक अवधारणा और मुद्दासब मे सहभागी करेनाई यै सिकरीबद्ध प्रकाशन के उद्देश्य चियै । श्रृङ्खला अन्तरगत के सैब कनकि किताब नेपालमे बोलैवला डिगा भाषासब (नेपाली, थारू, मैथिली, भोजपुरी, मगर, तामाङ्ग, नेवार) आ अंग्रेजी भाषा मे उपलब्ध छै । यी किताब के सुनै के लेल (क्यासेट, डिभिडी) सोहो उपलब्ध हैके साथे यै सब के अनलाइनो मे राखल गेल छै ।

पहौनका दाइब यै प्रकाशन श्रृङ्खला मे रखलहा विषय वस्तु येनड छै । राज आ धरम, संघिय प्रणाली (प्रगणा), संविधान मे मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार, कनहिके जनसंख्यावला के अधिकार, सरकार के प्रणालीसब स्वतन्त्र कचहैरी (न्यायपालिका), स्थानिय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशिकरण आ सहभागितामूलक संविधान बनाइके तौर तरिका ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तेसर ओ चौथा तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, बुद्धनगर, काठमाडौं

टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६ / ४७८५४८६ / ४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

